मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक सी-5-2/87/3/1 भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल, 1987

प्रति,

समस्त के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र. ग्वालियर
समस्त संभागीय आयुक्त/ विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय.—विभागीय जांच का एक वर्ष की निर्धारित समयावधि में निपटारा.

कृपया मार्जिन में अंकित सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों का अवलोकन करें. इनमें कहा गया है कि विभागीय जांच के मामलों को निर्धारित एक वर्ष की समयावधि में ही निपटाकर अन्तिम आदेश पारित किया जावे एवं अनावश्यक/अनुचित विलम्ब पर रोक लगाई जाय तथा विलम्ब के लिए जिम्मेदार कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही कर लघुशास्ति पारित की जाय.

2. समय-ससय पर प्रसारित निर्देशों के बावजूद विभागीय जांचों के निपटाने में हो रहे विलम्ब पर अंकुश लगाने के तत्परता से प्रयत्न नहीं किये जा रहे हैं. शासन इस स्थिति को गंभीर मानता है.

3. अत: संलग्न सारणी में बताई गई विभागीय जांच की विभिन्न प्रावस्थाओं की ओर समस्त सक्षम/अनुशासनिक, प्राधिकारियों का ध्यान आकर्षित कर अपेक्षा की जाती है कि आयोग द्वारा मंत्रणा (जहां आवश्यक हो) देने में लगने वाली समयावधि को छोड़कर, विभागीय जांच की संपूर्ण कार्यवाही एक वर्ष की अधिकतम समयावधि में अनिवार्यत: पूरा करने या करवाने के शासन के निर्देशों का तत्परता एवं दृढ़ता से पालन करना सुनिश्चित किया जाय एवं विलम्ब की स्थिति में जिम्मेदार कार्मिक के विरुद्ध भी आवश्यक कार्यवाही करने की कार्यवाही की जाये.

संलग्न : उपरोक्तानुसार.

हस्ता./-
(के. सी. एस. आचार्य)
मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,

ज्ञापन क्रमांक एवं दिनांक—

(1) 2197/2355/1 (3), दिनांक 30 सितम्बर, 1963
(2) 439/1164/ 1 (3) 75, दिनांक 5 जुलाई, 1975
(3) सी/6-5/76/3/1, दिनांक 8 जुलाई, 1976
(4) 71/1376/काप्रसु/1/81, दिनांक 27 जनवरी, 1982*
(5) एफ. 4-8/86/काप्रसु/1, दिनांक 25 सितम्बर, 1986.*

क्रमांक सी-5-2/87/3/1

भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल, 1987

प्रतिलिपि :—

1. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर.
   लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल.
   सचिव, लोक सेवा आयोग मध्यप्रदेश, इन्दौर.
   सचिव, कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड, म. प्र. भोपाल.

2. राज्यपाल के सचिव, म. प्र. शासन, राजभवन, भोपाल,
   सचिव, विधान सभा सचिवालय म. प्र. भोपाल.

3. प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल.

4. अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख शाखा/मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र. सचिवालय, भोपाल

हस्ता./-
(के. सी. एस. आचार्य)
मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन.

विभागीय जांच करने के प्रकरणों की प्रवास्थायें एवं उनमें लगने वाली समयावधि की सारणी

1.	सक्षम प्राधिकारी द्वारा नस्ती पर विभागीय जांच करने का निर्णय लिया जाना.	प्रकरण प्रस्तुति से एक सप्ताह
2.	आरोप पत्रादि जारी किये जाना	अधिकतम एक माह
3.	अपचारी से आरोप पत्र का उत्तर विहित समयावधि में प्राप्त करना (यह अवधि आरोप-पत्रादि प्राप्त होने की तिथि से कम से कम सात दिन पश्चात् की होगी)	सात दिन से एक माह
4.	अपचारी से आरोप-पत्र का उत्तर प्राप्त होने पर उसका परीक्षण कर जांचकर्ता/प्रस्तुतिकर्ता पदादिकारी की नियुक्ति.	सात दिन से एक माह
5.	जांच प्राधिकारी द्वारा जांच करना एवं जांच प्रतिवेदन भेजना	
	(1) मुख्य शास्तियों अधिरोपित करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया हेतु	अधिकतम छः माह
	(2) लघु शास्तियों अधिरोपित करने के लिये निर्धारित प्रक्रिया हेत.	अधिकतम तीन माह
6.	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उसका परीक्षण एवं अनन्तिम (प्रस्तावित) या अंतिम शास्ति (लघु) शास्ति पारित करने की स्थिति में) पारित करने का निर्णय लेना.	
	(1) मुख्य शास्तियों अधिरोपित करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया हेतु .	अधिकतम तीन सप्ताह
	(2) लघु शास्तियां अधिरोपित करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया हेतु.	अधिकतम दो सप्ताह
7.	आयोग की मंत्रणा (मंत्रणा में लगने वाले समय को छोड़कर), जहां आवश्यक हो, प्राप्त होने के बाद मुख्य शास्तियां अधिरोपित करने के लिए अंतिम आदेश पारित करना—	अधिकतम दो सप्ताह